



कार्यालय—प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id: nodalfca.forest@uk.gov.in

Phone/Fax: 0135 2767611



बहुल इन्द्रकमल  
ONE EARTH - ONE FAMILY - ONE FUTURE

पत्रांक—2688 / 12-1

देहरादून:दिनांक:

07 अप्रैल, 2025

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के0)

भारत सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड़

देहरादून।

विषय—

जनपद—रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत पंयाताल—त्यूखर—चिरबटिया—लस्या मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.40 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव के संबध में।  
(PROPOSAL NO. FP/UK/ROAD/10497/2015)

सन्दर्भ—

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक 8बी/यू.सी. पी/06/190/2015/एफ.सी./1170 दिनांक 05.09.2017

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगतनीय है कि विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार द्वारा कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या वन संरक्षक गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी के पत्रांक 1886/12-1 दिनांक 02.04.2025 से इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई है, जो निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित की जा रही है :-

S. No.	सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्त	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.80 है0 ग्राम—देवल सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख—रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यंथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे वन वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.80 है0 ग्राम—त्यूखर सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख—रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) ₹ 7,80,262.00 (सात लाख अस्सी हजार दो सौ बासठ) मात्र RTGS के माध्यम से वन विभाग के पक्ष में जमा की गई है, जिसकी प्रति संलग्न है (संलग्नक—1) उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया गया है, प्रति संलग्न। (संलग्नक—2) तथा आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किये जाने से संबधित प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न है। (संलग्नक—3)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0 सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0 हेतु ₹ 11,83,000.00 (ग्यारह लाख तेरासी हजार) मात्र की धनराशि कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। (संलग्नक—1 के अनुसार)
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में बढ़ोतरी के अनुसार अतिरिक्त धनराशि ₹6,26,990.00 (छः लाख छब्बीस हजार नौ सौ नब्बे) मात्र कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। (संलग्नक—4)
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007- एफ0 सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) वैब

	सथी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में Online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसकी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है, जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाय।	पोर्टल पर Online Generate किये गये चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाईन बैंक में जमा किया गया है। (संलग्नक-1 व 4 के अनुसार)
5	सड़क निर्माण के पश्चात जहां-जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip Plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता, अभिकरण द्वारा सड़क निर्माण के पश्चात जहां-जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip Plantation की जाएगी। इस आशय की बचनबद्धता संलग्न की गई है। (संलग्नक-5)
6	Name of CA site is mentioned as Civil Land 9(3) in Tyunhar Village in Para-L(iv) of online Part-I & para-13 (i) of online Part II but the name of CA site is mentioned as Deval Civil in the CA Scheme uploaded at para-13 (vii) of online Part II and the copy provided in the hard copy of the proposal. State Govt. may correct the name of CA site and submit revised documents after correction in the name of CA site.	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत प्रकरण में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु राजस्व अभिलेखों के अनुसार कुल 2.80 हे० ग्राम-त्यूखर सिविल भूमि चयनित की गई थी, किन्तु तत्समय वृक्षारोपण योजना में त्रुटिवश चयनित क्षेत्र का नाम देवल सिविल अंकित किया गया। अतः प्रकरण के एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण चयनित क्षेत्र ग्राम-त्यूखर सिविल भूमि का संशोधित एवं टोपोशीट मानचित्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-7)

अतः वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड पौड़ी द्वारा प्रेषित आख्या इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि प्रश्नगत प्रकरण पर वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 यथासंशोधित 2023 के तहत विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोपरि

भवदीय,

(आर०के० मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,  
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक 2688 / दिनोंक

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन।
2. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी।
3. प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।
4. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०, रुद्रप्रयाग।

(आर०के० मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,  
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

## कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी

पत्रांक:- 1886 / 12-1 दिनांक, पौड़ी, अप्रैल 02, 2025.

सेवा में,

✓ प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,  
वन संरक्षण, देहरादून।

विषय :- जनपद-रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत पंयाताल-त्यूंखर-चिरबटिया-लस्या मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.40 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव के संबंध में।  
**PROPOSAL NO.-FP/UK/ROAD/10497/2015**

सन्दर्भ :- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या-8बी./यू.सी.पी./06/190/2015/एफ.सी./1170 दिनांक 05.09.2017।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग द्वारा अपने पत्रांक 3062/12-1(2) दिनांक 17.03.2025 से अवगत कराया गया है कि प्रकरण में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों की अनुपालन आख्या अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रुद्रप्रयाग ने अपने पत्रांक-630/16सी0 दिनांक 06.03.2025 से प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग को प्रेषित की गई, जो निम्नवत है-

बि.सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्त	अनुपालन
1	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.80 है. ग्राम-देवल सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों चको समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग द्वारा अपने पत्रांक 3062/12-1(2) दिनांक 17.03.2025 से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.80 है. ग्राम-त्यूंखर सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) रुपये 7,80,262.00 (सात लाख अस्सी हजार दो सौ बासठ) मात्र RTGS के माध्यम से वन विभाग के पक्ष में जमा की गई है, जिसकी प्रति संलग्न है। (संलग्नक-1) उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया गया है, प्रति संलग्न है (संलग्नक-2) तथा आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किये जाने से संबंधित प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न है। (संलग्नक-3)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन.पी.वी. हेतु रुपये 11,83,000.00 (ग्यारह लाख तेरासी हजार) मात्र की धनराशि कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। (संलग्नक-1 के अनुसार)
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है, तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।	प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में बढ़ोत्तरी के अनुसार अतिरिक्त धनराशि रुपये 6,26,990.00 (छः लाख छब्बीस हजार नौ सौ नब्बे) मात्र कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। (संलग्नक-4)

प्रभारी रुद्रप्रयाग

आ.का.के.रे.

06

15/04/25

JAIDEEP

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी  
वन संरक्षण, भूमि संरक्षण विभाग, देहरादूनपत्रांक सं० 4651  
दिनांक 12-1  
दिनांक 19-04-25

क्रमशः पेज 02 पर

4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में Online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है, जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाय।	प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर Online Generate किये गये चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाईन बैंक में जमा किया गया है। (संलग्नक-1 व 4 के अनुसार)
5	सड़क निर्माण के पश्चात जहां-जहां सभं हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip Plantation की जाएगी। इस आशय की बचन बढ़ता प्रेषित करनी होगी।	प्रस्ताव विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सड़क निर्माण के पश्चात जहां-जहां सभं हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip Plantation की जाएगी। इस आशय की बचनबद्धता संलग्न की गई है। (संलग्नक-5)
6	Name of CA site is mentioned as Civil Land 9 (3) in Tyunkhar Village in para-L (iv) of online Part-I & para-13 (i) of online Part-II but the name of CA site is mentioned as Deval Civil in the CA Scheme uploaded at para-13 (vii) of online Part-II and the copy provided in the hard copy of the proposal. State Govt. may correct the name of CA site and submit revised documents after correction in the name of CA site.	प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत प्रकरण में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु राजस्व अभिलेखों के अनुसार कुल 2.80 है० ग्राम-त्यूंखर सिविल भूमि चयनित की गई थी, किन्तु तत्समय वृक्षारोपण योजना में त्रुटिवश चयनित क्षेत्र का नाम देवल सिविल अंकित किया गया। अतः प्रकरण के एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण चयनित क्षेत्र ग्राम-त्यूंखर सिविल भूमि का संशोधित वृक्षारोपण प्राक्कलन (संलग्नक-6) डिजिटल एवं टोपोशीट मानचित्र संलग्न कर प्रेषित हैं। (संलग्नक-7)

संलग्न:- यथोपरि

भवदीय

(आकाश कुमार वर्मा)

वन संरक्षक

गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड पौड़ी

पत्रांक 1886 / 12-1 दिनांक

प्रतिलिपि:- प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, को उनके उपरोक्त पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(आकाश कुमार वर्मा)

वन संरक्षक

गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड पौड़ी

भारत सरकार  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र)  
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001  
दूरभाष: 0135-2650809  
फैक्स-0135-2653010  
ईमेल - moef.ddn@gov.com



GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS &  
CLIMATE CHANGE  
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)  
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001  
PHONE- 0135-2650809  
FAX- 0135-2653010  
Email- [moef.ddn@gov.com](mailto:moef.ddn@gov.com)

पत्र सं० 08बी/यू०सी०पी०/०६/१९०/२०१५/एफ०सी० (1176)

दिनांक 5 / 09 / 2017

सेवा में,

सचिव (वन),  
उत्तराखण्ड शासन,  
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद - रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत पंयाताल-त्पूखर-चिरबटिया-लस्या मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.40 हे० वन भूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ: अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या- 849/FP/UK/ROAD/10497/2015 दिनांक 06.09.2017

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No. FP/UK/ROAD/10497/2015 एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड के सन्दर्भित पत्र के अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत स्वीकृति मार्गी थी।

इस विषय में मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण पर समय-समय पर राज्य सरकार से आवश्यक जानकारियां/ दस्तावेज online मंगाए जाते रहे हैं, जिनके प्राप्त होने एवं प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त केन्द्र सरकार जनपद- रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत पंयाताल-त्पूखर-चिरबटिया-लस्या मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.40 हे० वन भूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धांतिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-


1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.800 हे० ग्राम- देवल सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोतरी होती है, तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMP) के तदर्थ निकाय खाते में Online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है, जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाए।
5. सडक निर्माण के पश्चात् जहां-जहां संभव हो सडक के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।
6. Name of CA site is mentioned as Civil Land 9 (3) in Tyunkhar Village in para-L (iv) of online Part-I & para-13 (i) of online Part-II but the name of CA site is mentioned as Deval Civil in the CA Scheme uploaded at para-13

(vii) of online Part-II and the copy provided in the hard copy of the proposal. State Govt. may correct the name of CA site and submit revised documents after correction in the name of CA site.

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं विन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालना आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाये। राज्य सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति तथा प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की जाती। सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात् विधिवत् स्वीकृति अन्य आवश्यक शर्तों सहित निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जायेगी:-

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. एनपीवी की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढी दरों पर एनपीवी देने के लिए बाध्य होगा।
3. प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 2.800 हे० ग्राम- देवल सिविल एवं सोयम भूमि को छः माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अर्न्तगत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर०सी०सी० पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।
7. परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।
8. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।
9. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 109 से अधिक न हो।
10. सडक निर्माण के पश्चात् जहाँ-जहाँ संभव हो सडक के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में strip plantation की जाएगी।
11. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलबे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलबा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलबा नहीं फेंका जाएगा।
12. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
13. ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।

यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तों का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

शुभदीय,  
  
(एम.एस.नेगी)  
वन संरक्षक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अपर वन महानिदेशक (एफ०सी०), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

/  
(एम.एस.नेगी)  
वन संरक्षक

## कार्यालय उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

पत्रांक :- 3062/12-1(2)

दिनांक 17/03/2025::

सेवा में

✓ वन संरक्षक  
 गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड,  
 पौड़ी।

**विषय :-** जनपद-रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत पंयाताल-त्यूंखर-चिरबटिया-लस्या मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.40 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव के संबंध में।  
**PROPOSAL NO.-FP/UK/ROAD/10497/2015**

**सन्दर्भ :-** भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या-8बी./यू.सी.पी./06/190/2015/एफ.सी./1170 दिनांक 05.09.2017।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक प्रकरण में प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों की संशोधित अनुपालन आख्या (प्रश्न एवं उत्तर कॉलमवार/बिन्दुवार) अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, रुद्रप्रयाग ने अपने पत्रांक-630/16सी० दिनांक 06.03.2025 के द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित की गई है, जो निम्न प्रकार है-

बि.सं.	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अधिकरण प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.80 है. ग्राम-देवल सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों चको समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.80 है. ग्राम-त्यूंखर सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) रुपये 7,80,262.00 (सात लाख अस्सी हजार दो सौ बासठ) मात्र RTGS के माध्यम से वन विभाग के पक्ष में जमा की गई है, जिसकी प्रति संलग्न है। (संलग्नक-1) उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया गया है, प्रति संलग्न है (संलग्नक-2) तथा आरक्षित/सरक्षित वन भूमि घोषित किये जाने से संबंधित प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न है। (संलग्नक-3)
2	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा एन.पी.वी. हेतु रुपये 11,83,000.00 (ग्यारह लाख तेरासी हजार) मात्र की धनराशि कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। (संलग्नक-1 के अनुसार)
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है, तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में बढ़ोत्तरी के अनुसार अतिरिक्त धनराशि रुपये 6,26,990.00 (छः लाख छब्बीस हजार नौ सौ नब्बे) मात्र कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। (संलग्नक-4)
4	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में Online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है, जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाय।	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर Online Generate किये गये चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाईन बैंक में जमा किया गया है। (संलग्नक-1 व 4 के अनुसार)

5	सड़क निर्माण के पश्चात जहां-जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip Plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सड़क निर्माण के पश्चात जहां-जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip Plantation की जाएगी। इस आशय की वचनबद्धता संलग्न की गई है। (संलग्नक-5)
6	Name of CA site is mentioned as Civil Land 9 (3) in Tyunkhar Village in para-L (iv) of online Part-1 & para-13 (i) of online Part-II but the name of CA site is mentioned as Deval Civil in the CA Scheme uploaded at para-13 (vii) of online Part-II and the copy provided in the hard copy of the proposal. State Govt. may correct the name of CA site and submit revised documents after correction in the name of CA site.	प्रश्नगत प्रकरण में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु राजस्व अभिलेखों के अनुसार कुल 2.80 है० ग्राम-त्यूंखर सिविल भूमि चयनित की गई थी, किन्तु तत्समय वृक्षारोपण योजना में त्रुटिवश चयनित क्षेत्र का नाम देवल सिविल अंकित किया गया। अतः प्रकरण के एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण चयनित क्षेत्र ग्राम-त्यूंखर सिविल भूमि का संशोधित वृक्षारोपण प्राक्कलन (संलग्नक-6) डिजिटल एवं टोपोशीट मानचित्र संलग्न कर प्रेषित हैं। (संलग्नक-7)

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार। (मूल सहित तीन सत्यापित प्रतियों में)

भवदीया

*[Handwritten Signature]*  
(कल्याणी)

उप वन संरक्षक,

रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

संख्या- /दिनांकित।

प्रतिलिपि 1:- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 2:- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, रुद्रप्रयाग को उनके उक्त पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

*[Handwritten Signature]*  
का शक्ति एल्लोत्तल  
आका को

*[Handwritten Signature]*  
को को  
हुगुवा

<b>कार्यालय वन संरक्षक</b>	
गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड पौड़ी	
प्राप्ति सं०	6592
पत्रांक संख्या	12-1
दिनांक	28/3/25
पत्र किसको भेजा	व. प्र. ए.

(कल्याणी)

उप वन संरक्षक,

रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

पत्र संख्या 630 / 16 सी 0

दिनांक 06 / 03 / 20 25

सेवामें,

उप वन संरक्षक  
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग  
रुद्रप्रयाग।

**विषय—** वनभूमि पत्रावली संख्या FP/UK/ROAD/10497 /2015 जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत पंजाताल त्यूंखर चिरबटिया लस्या मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.400 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

**सन्दर्भ—** भारत सरकार का पत्र संख्या 8बी/यूसीपी/06/190/2015/एफसी/1170 दिनांक 05.09.2017 एवं आपका पत्र संख्या 3512/12-1(2) दिनांक 27.04.2023 व पत्र संख्या 2370/12-1(2) दिनांक 01.02.205।

**महोदय,**

उपरोक्त विषयक मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या पूर्व ही इस कार्यालय के पत्र संख्या 2712/16सी दिनांक 09.09.2019 द्वारा आपको प्रेषित की जा चुकी हैं, किन्तु 5 वर्ष से अधिक समय होने के कारण एनपीवी की बढ़ी हुए धनराशि जमा किये जाने के कारण सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की संशोधित बिन्दुवार अनुपालन आख्या सन्दर्भित द्वारा पुनः उपलब्ध कराये जाने लिखा गया है—

क्र0	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.8000 हे0 ग्राम देवल सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों के रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.8000 हे0 में वृक्षारोपण एवं उनके 10 वर्षों के रख-रखाव हेतु वांछित धनराशि रू0 7,80,262.00 मात्र द्वारा जमा किया जा चुका है, (चालान की प्रति संलग्न- संलग्नक-1) चयनित भूमि के हस्तान्तरण / नामान्तरण से सम्बन्धित अमल दरामद जिलाधिकारी के आदेश संख्या 986/छब्बीस-07 /2017-18 दिनांक 29.11.2018 ग्राम त्यूंखर में 2.8000 हे0, प्रति संलग्न है (संलग्नक-2)। तथा प्रत्यावर्तित भूमि पर पिलरों द्वारा सीमांकन का प्रमाण पत्र व कब्जा प्रमाण पत्र संलग्न है (संलग्नक-3)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग द्वारा शर्त संख्या 2 के अनुपालन में इको क्लास के अनुसार 1.400 हे0 वनभूमि एनपीवी की देय धनराशि रू0 11,83,000.00 मात्र की उक्त खाते में इस कार्यालय द्वारा ऑन लाइन द्वारा जमा किया जा चुका है, (चालान की प्रति संलग्न (संलग्नक-1)।
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों में अगर बढ़ोत्तरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।	शर्त संख्या 3 के अनुपालन में एनपीवी मूल्य की दर में बढ़ोत्तरी की धनराशि रू0 6,26,990.00 मात्र की ऑन लाइन जमा की जा चुकी है, चालान की प्रति संलग्न है (संलग्नक-4)।
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं0 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMP) के तदर्थ निकाय खाते में Online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate	शर्त संख्या 1, 2, 3 के अनुसार (कुल धनराशि रू0 7,80,262.00 + 11,83,000.00 + 6,26,990.00 मात्र) = रू0 25,90,252.00 ऑन लाइन के माध्यम से जमा की जा चुकी है।

	होता है उसी माध्यम से किया जाना आवश्यक है, जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाय।	
5	सड़क के निर्माण के पश्चात जहां-जहां हो सड़के के दोनों किनारों पर Central Verge पर विभाग अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip Plantation की जायेगी। इस आशय की बचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।	सड़क के निर्माण के पश्चात जहां-जहां हो सड़के के दोनों किनारों पर Central Verge पर विभाग अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip Plantation करने हेतु बचनबद्ध है (संलग्नक-5)
6	Name of CA site is mentioned as Civil Land 9(3) ड Tyunkhar Village in Para L (iv) of online Parat-I & para-13 (i) of online Part-II but the name of CA site is mentioned as Deval Civil in the CA Scheme uploaded at Para-13 (vii) of online Para-II and the copy provided in the hard copy of the proposal. State Govt. may correct the name of CA site and submit revised documents after correction in the name of CA site.	राजस्व विभाग द्वारा ग्राम त्यूंखर की ज0वि0र0 खतौनी खाता संख्या 90 के खसरा नम्बर 3862 रकवा 3.885 है0 मध्ये 2.800 है0 राजस्व भूमि का नामान्तरण / हस्तान्तरण क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में किया गया है। जिसकी केएमएल फाईल व डिजिटल मानचित्र संलग्न है (संलग्नक-6) Para-13 (i) of online Part-II में सुधार वन विभाग के स्तर से ही किया जाना है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त मार्ग की विधिवत स्वीकृति हेतु प्रकरण भारत सरकार को अपनी संस्तुति सहित प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

06-03-28  
(इं0 इन्द्रजीत बोस)  
अधिशाली अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0  
रुद्रप्रयाग।

प्रतिलिपि-

1. नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, वन विभाग, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशाली अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0  
रुद्रप्रयाग

वन विभाग  
कृ० आ० का० का०

1/9/28  
प्र० आ० का०  
K

## कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

पत्रांक:- 1887 / 12-1 , दिनांक, पौड़ी, अप्रैल, 02, 2025.

सेवा में,

अपर सचिव,  
वन अनुभाग-2  
उत्तराखण्ड शासन देहरादून।

विषय:- जनपद-रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत पंयाताल-त्यूंखर-चिरबटिया-लस्या मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.40 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव के संबंध में।  
PROPOSAL NO.-FP/UK/ROAD/10497/2015

सन्दर्भ:- प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग का पत्रांक 2978/12-1(2) दिनांक 10.03.2025 महोदय,

प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग द्वारा सन्दर्भित पत्र से अवगत कराया गया है कि जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत पंयाताल-त्यूंखर-चिरबटिया-लस्या मोटर मार्ग निर्माण हेतु (कार्यदायी संस्था-प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रुद्रप्रयाग) रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग की दक्षिणी जखोली रेंज के अन्तर्गत 1.40 है० लौंगा क०सं०-4 व 5 आरक्षित वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग द्वारा अपने पत्रांक 986/छब्बीस-07/2017-18 दिनांक 29.11.2018 से वन विभाग को उपलब्ध कराई गई ग्राम-त्यूंखर, रा०उ०नि०क्षे०-त्यूंखर, तहसील-जखोली, जनपद रुद्रप्रयाग के ज०वि०र० खतौनी खाता संख्या-90, श्रेणी-9(3)ड बंजर के खसरा संख्या-3862, रकवा-3.885 है० मध्ये रकवा-2.80 है० अर्थात् कुल रकवा-2.80 है० सिविल भूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किये जाने हेतु प्रस्तावित अधिसूचना ड्राफ्ट इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

अतः प्रस्ताव की 4 प्रतियाँ संलग्न कर आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रस्तावित भूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की कृपा की जाए।

संलग्नक:- चयनित भूमि के मानचित्र व अधिसूचना का ड्राफ्ट (4 प्रतियों में)

भवदीय,

(आकाश कुमार वर्मा)

वन संरक्षक

गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

पत्रांक:- 1887/12-1 दिनांकित

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) उत्तराखण्ड देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन संरक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक गढ़वाल, उत्तराखण्ड पौड़ी।
4. जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग।

(आकाश कुमार वर्मा)

वन संरक्षक

गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

मूल

2/16/2019

पंचायत - ट्यूवर निरवाह माल (म)

1

**AGENCY COPY**  
NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA  
Date : 16-02-2019

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6110497611
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/190/2015/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	PWD PROVINCIAL DIVISION RUDRAPRAYAGRudraprayag
Amount(in Rs)	1963262/-


Amount in Words :Nineteen Lakh Sixty-Three Thousand Two Hundred and Sixty-Two Rupees Only

**NEFT/RTGS to be made as per following details;**

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896110497611 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

25157



S.B. IN 419057257749

Printed copy attested

After making successful payment, User Agencies Email: helpdeskcompa@corpbank.co.in

सहायक अभियन्ता  
प्र० अ० लो० नि० वि०  
रुद्रप्रयाग

बिचारी बभियारा  
को. वि. वि.

प्रति सहायिका  
सहायक अभियन्ता  
प्र० अ० लो० नि० वि०  
रुद्रप्रयाग

Online payment history made by User Agency under CAMPA

Help

Sno.	Proposal Detail	Application No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE Rs.)	Amount to be Paid/Amount Paid (in PRINCIPLE Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UK/ROAD/8652/2014 K:\Viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/8652/2014) Bansil to Bamoli Motor Road	ROAD86522014924	6186520924	26 Oct 2017	CA: 0/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety: 0/-, Addl PA: 0/- Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 502775/-, ten times tree plantation 847000/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 1349775/-	<input checked="" type="radio"/> Paid	Fund Demand Verified by: 11 Sep 2018 Nodal Officer On Bank Name: Corporation Bank Mode of Payment: NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On: 07 Mar 2019 Transaction Date: 12 Mar 2019	Demand Letter K:\writeaddata\Fundpdf\9117121121340QALDemandnotew.pdf Generated Challan (..\UserAccount\Nft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD86522014924)
2	FP/UK/ROAD/10497/2015 K:\Viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/10497/2015) Const. of Palyatal-Tyunkhar-Chilbatiya-Lassya Motor Road under State Sector	ROAD104972015611	6110497611	05 Oct 2017	CA: 780262/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 1183000/-, Other Charges: 0/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 1963262/-	<input checked="" type="radio"/> Paid	Fund Demand Verified by: 28 Aug 2018 Nodal Officer On Bank Name: Corporation Bank Mode of Payment: NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On: 16 Feb 2019 Transaction Date: 26 Feb 2019	Demand Letter K:\writeaddata\Fundpdf\8119124312141J3FDemandnoteNew.pdf Generated Challan (..\UserAccount\Nft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD104972015611)

1963262/-  
1963262/-  
1963262/-

1985/16  
29/05/19

अधिसासी अभियन्ता, प्रा0ख0 लो0नि0वि0 रुद्रप्रयाग के द्वारा जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखोली के अर्न्तगत पंयाताल-त्यूखर- चिरबटिया मोटर मार्ग के निर्माण हेतु गैर वानिकी कार्यो हेतु वन विभाग को दोगुने भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित करने का अनुरोध किया गया है। शासनादेश संख्या- 748/III (2)/08-42 (प्रा.आ.)/07 टी0सी0 दिनांक 24-03-2008 के द्वारा उक्त मोटर मार्ग निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उक्त प्रकरण पर तहसीलदार एवं उप जिलाधिकारी जखोली ने अपने जांच आख्या पत्रांक- 256/र0का0 -2014-15 दिनांक 22 अक्टुबर 2018 के द्वारा अवगत कराया है कि, राजस्व उप निरीक्षक त्यूखर के अर्न्तगत राजस्व ग्राम त्यूखर की ज0वि0र0 खतौनी खाता संख्या-90 के खसरा नं0 3862 रक्वा 3.885 हे0 मध्ये 2.800 हे0 भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित कर चयनित भूमि के नक्शा, खसरा एवं खतौनी की नकल प्रस्तुत कर वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है।

अतः शासनादेश संख्या-2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010राजस्वअनुभाग-02दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, तहसीलदार/उप जिलाधिकारी, जखोली द्वारा राजस्व उप निरीक्षक त्यूखर के अर्न्तगत राजस्व ग्राम त्यूखर की ज0वि0र0 खतौनी खाता संख्या-90 के खसरा नं0 3862 रक्वा 3.885 हे0 मध्ये 2.800 हे0 चयनित भूमि उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग के नाम क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित/नामान्तरित एवं अमलदरामद करने की ऐतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

30/5/19

28/5

रुण-

( मंगेश घिल्डियाल )  
जिलाधिकारी,  
रुद्रप्रयाग।

कार्यालय जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग।

संख्या- 986 / छब्बीस- 07 / 2017-18

दिनांक: रुद्रप्रयाग: नवम्बर 29, 2018.

प्रतिलिपि-

- 1- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-  
अपर प्रमुख व संरक्षक, नोडल अधिकारी वन संरक्षण, रुद्रप्रयाग फौरेस्ट कालौनी उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- सचिव, राजस्व विभाग अनुभाग-02 उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 3- अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-04 उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 4- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 5- आयुक्त, गढवाल मण्डल पौडी।
- 6- उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग।
- 7- उप जिलाधिकारी/तहसीलदार रुद्रप्रयाग को उक्तानुसार कार्यवाही कर शीघ्र खतौनी की नकल इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- 8- अधिसासी अभियन्ता, प्रा0ख0 लो0नि0वि0 रुद्रप्रयाग।

अधिसासी अभियन्ता  
प्रा0ख0 लो0नि0वि0  
रुद्रप्रयाग

अधिसासी अभियन्ता  
प्रा0ख0 लो0नि0वि0  
रुद्रप्रयाग

जिलाधिकारी,  
रुद्रप्रयाग।

नवल खैरौनी ज० वि० २०

शाम - लखनपुर

रा० उ० नि० वि० सं० - लखनपुर

ल० - जलोली

जनपद - कन्नौज

नो० :- वार्ड नं० (३) ड० - खाते के बाहर की हडि चोगप ड०

१	२	३	४	५	६	७	८-२।
	२०		उत्तर प्रदेश सरकार वार्ड नं० (३) ड०	२२६२	१६३११३ (३-२६)	धा का	मु० आ० उ० नि० वि० जिलाधिकारी महो का० का० कार्यालय कादिये स्थित १८६ / हडि नं० - ०१ / २०१७-१८ वि० नं० का० नवम्बर २९, २०१८ के दफ ते पंचायत - लखनपुर - नि० वि० को आ० में आवेष्टित भूति का माला नं० ३८६२ जवा ३-८८५ डे० नवम्बर २८० आ० का वि० का हडि नं० ०१ वार्ड नं० ३ का वन विभाग के नाम का माला नं० ३८६२ ड० नं० १७/०१ २०३०१-००००
				१	२२६२		

नो० :- नवल खैरौनी ज० वि० २० नवल से हडि की गई

Auto copy attested

सहायक अभियन्ता  
रा० उ० नि० वि०  
कन्नौज

सहायक अभियन्ता  
रा० उ० नि० वि०  
कन्नौज

२५/०१/१९  
रा० उ० नि० वि०  
कन्नौज



ई. मेल :- dforudraprayag@gmail.com

फोन / फैक्स नं० :- 01364 - 233505::

पता :- माई की मढ़ी निकट जवाडी बाईपास रुद्रप्रयाग

3

**कार्यालय उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।**

पत्रांक— 2978 / 12-1(2) दिनांक 10/03/2025::

सेवा में,

वन संरक्षक,  
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड  
पौड़ी।

**विषय :-** जनपद—रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत पंयाताल—त्यूंखर—चिरबटिया मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.40 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।  
**PROPOSAL NO.- FP/UK/ROAD/10497/2015**

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में अवगत कराना है कि रुद्रप्रयाग वन प्रभाग की दक्षिणी जखोली रेंज के अन्तर्गत 1.40 है० लौंगा क०सं०-4 व 5 आरक्षित वन भूमि पंयाताल—त्यूंखर—चिरबटिया मोटर मार्ग (प्रस्ताव संख्या—FP/UK/ROAD/10497/2015) निर्माण हेतु कुल 1.40 है० वन भूमि के एवज में 2.80 है० सिविल वन भूमि को जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग के पत्रांक—986/छब्बीस—07/2017—18 दिनांक 29.11.2018 के द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम—त्यूंखर, रा०उ०नि०क्षे०—त्यूंखर, तहसील—जखोली, जनपद—रुद्रप्रयाग के ज०वि०र० खतौनी खाता संख्या—90, श्रेणी—9(3)ड बंजर के खसरा संख्या—3862, रकवा—3.885 है०, मध्ये रकवा—2.80 है० अर्थात् कुल रकवा—2.80 है० सिविल भूमि को वन विभाग, उत्तराखण्ड के नाम आवंटित/हस्तान्तरित की गई है।

क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चिन्हित 2.80 है० बंजर भूमि को भारतीय वन अधिनियम—1927 यथा संशोधित (केन्द्रीय अधिनियम संख्या—16, वर्ष—1927) की धारा—29 की उपधारा—(1) के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाना है। उक्त हेतु अधिसूचना का ड्राफ्ट प्रारूप इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। यदि आप सहमत हों तो उक्त अधिसूचना का ड्राफ्ट शासन को प्रेषित करना चाहें। चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण भूमि का डिजिटल एवं जियोरिफरेन्स मानचित्र संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं।

**संलग्नक :-** चयनित भूमि के मानचित्र व अधिसूचना का ड्राफ्ट।

(04 प्रतियों में)

भवदीया

(कल्याणी)

उप वन संरक्षक,

रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

संख्या— /दिनांकित।

- प्रतिलिपि :-**
1. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरा नगर फारेस्ट कलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
  2. जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग को सूचनार्थ प्रेषित।
  3. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, रुद्रप्रयाग को सूचनार्थ प्रेषित।

(कल्याणी)

उप वन संरक्षक,

रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

उत्तराखण्ड शासन, वन अनुभाग-2

संख्या-

/ ..... देहरादून : दिनांक :-

, 2025

**ड्राफ्ट अधिसूचना**

महामहिम राज्यपाल उत्तराखण्ड, जनपद-रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत पंयाताल-त्यूखर-चिरबटिया मोटर मार्ग के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग को हस्तान्तरित 1.40 है० लौंगा क०सं०-4 व 5 आरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल 1.40 है० वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग को ग्राम-त्यूखर सिविल भूमि उपलब्ध कराई गई, जो उ०ख० सरकार वर्ग-9-3(ड) बंजर भूमि क्षेत्रफल 2.80 है० जिसका विवरण नीचे की सारणी में अंकित है, को भारतीय वन अधिनियम-1927 यथासंशोधित (केन्द्रीय अधिनियम संख्या-16 वर्ष 1927) की धारा-29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित करने की सहर्ष स्वीकृति देते हैं।

**भाग-1 क्षेत्रफल विवरण (Area Statement)**

क्र.सं.	जनपद	ग्राम	खाता संख्या	खसरा संख्या	कुल क्षेत्रफल (है०)	चयनित क्षेत्रफल (है०)
1	रुद्रप्रयाग	त्यूखर	90	3862	3.885	2.80
<b>कुल योग</b>					<b>3.885</b>	<b>2.80</b>

**भाग-2 सीमा विवरण (Boundary Description)**

खसरा संख्या-150 सीमा स्तम्भों की कुल संख्या-1 से 4 निम्नांकित जी०पी०एस० के अनुसार।

क्र.सं.	अक्षांश	देशान्तर
1	30.3706842 <sup>0</sup> N	78.850731 <sup>0</sup> E
2	30.370308 <sup>0</sup> N	78.851302 <sup>0</sup> E
3	30.371717 <sup>0</sup> N	78.851476 <sup>0</sup> E
4	30.370721 <sup>0</sup> N	78.851461 <sup>0</sup> E

**भाग-3 अधिकार एवं रियायतें (Rights and Concession)**

उपरोक्त क्षेत्र भू-अभिलेखों में वन विभाग के नाम नामान्तरित होने से किसी भी प्रकार की अधिकार एवं रियायतों के दावों से मुक्त है।

प्रमुख सचिव  
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

संख्या :- / तददिनांकित।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
4. सचिव राजस्व, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।
7. उप जिलाधिकारी, जखोली।
8. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रुड़की को साधारण राजपत्र के विधाई परिशिष्ट में प्रकाशनार्थ।
9. एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

प्रमुख सचिव  
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

# क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल का कब्जा प्रमाण

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत पंयाताल त्यूंखर चिरबटिया मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.40 है० वनभूमि के एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित दुगुनी भूमि ग्राम-त्यूंखर की राजस्व भूमि 2.800 है० क्षेत्रफल जिसमें कि जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग के द्वारा म्यूटेशन आदेश निर्गत कर वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया गया है। म्यूटेशन तथा अमल दरामद अभिलेखों में उल्लिखित विवरण निम्न प्रकार है-

म्यूटेशन आदेश का पत्रांक व दिनांक	श्रेणी	खाता संख्या	खसरा नम्बर	कुल रकवा है० में	अर्जित रकवा है० में
986 / छब्बीस-07 / 2017-18 दिनांक 29.11.2018	श्रेणी-9-3-(ड) बंजर	90	3862	3.875	2.800
	<b>योग</b>			<b>3.875</b>	<b>2.800</b>

उपरोक्त भूमि का प्रयोक्ता अभिकरण लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग द्वारा मौके पर मानकानुसार पिलरों से सीमांकन किया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का नाम	कुल क्षेत्रफल है० में	पिलर संख्या	पिलर का साईज	अक्षांश	देशान्तर
ग्राम-त्यूंखर	2.800	4	60cm x 60cm x 75cm	30.3706842 <sup>0</sup> N 30.370308 <sup>0</sup> N 30.371717 <sup>0</sup> N 30.370721 <sup>0</sup> N	78.850731 <sup>0</sup> E 78.851302 <sup>0</sup> E 78.851476 <sup>0</sup> E 78.851461 <sup>0</sup> E

हस्ताक्षर

अधिशारी अभियन्ता  
प्रतीपति  
रुद्रप्रयाग

उपरोक्तानुसार म्यूटेशन आदेश व अमल दरामद अभिलेखों में उल्लिखित विवरण के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण के एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित/सीमांकन की गई भूमि को मौके के अनुसार राजस्व विभाग से वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण व कब्जा दिया जाता है।

गिरिश चन्द  
राजस्व उपनिरीक्षक  
क्षेत्र. अ. ट्यूंखर (बंजर)  
तहसील. दक्षिणी रेंज  
जनपद रुद्रप्रयाग

हस्ताक्षर  
S.D.M.  
राजस्व विभाग  
मुहर सहित  
बजोली (रुद्रप्रयाग)

उपरोक्तानुसार म्यूटेशन आदेश व अमल दरामद अभिलेखों में उल्लिखित विवरण के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण के एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित/सीमांकन की गई भूमि को मौके के अनुसार राजस्व विभाग से वन विभाग के कब्जे में लिया जाता है।

Pskandani  
(प्रतीपति)  
ब. अ.  
बजोली

हस्ताक्षर  
वन क्षेत्राधिकारी  
वन विभाग  
दक्षिणी रेंज  
मुहर सहित  
जनपद-रुद्रप्रयाग

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय  
.....  
.....  
आचार्य महोदय

.....  
.....  
.....

# प्रमाण पत्र

विषय— वनभूमि पत्रावली संख्या **FP/UK/ROAD/10497/2015** जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत पंयाताल त्यूंखर चिबटिया मोटर मार्ग को निर्माण हेतु 1.400 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

प्रमाणित किया जाता है कि पंयातल त्यूंखर चिबटिया मोटर मार्ग के निर्माण के लिए क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि 2.800 है० पर पिलरों द्वारा सीमांकन कर लिया गया है।

(इं० इन्द्रजीत बोस)

अधिशारी अभियन्ता अभियन्ता




प्रान्तीय स्वामत्त्व लो० नि० वि०



रुद्रप्रयाग रुद्रप्रयाग

# सीमांकन पिलरों को फोटोग्राफ्स

पंजाताल त्यूंखर चिरबटिया मोटर मार्ग



*[Handwritten Signature]*  
अभिमान  
प्रखण्ड विकास वि.  
कडप्रयाग

*[Handwritten Signature]*  
सहायक अभियन्ता  
प्रांखण्ड लोनिवि  
रुद्रप्रयाग

*[Handwritten Signature]*  
अधिसासी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड लोनिवि  
कडप्रयाग

लूकर चिरवाय्या

NEFT RTGS CHALLAN

लक्ष्मी मोर मर्ग

4

AGENCY COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 18-06-2024

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6110497774
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/190/2015/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	PWD PROVINCIAL DIVISION RUDRAPRAYAGRudraprayag
Amount(in Rs)	626990/-

Amount in Words : Six Lakh Twenty-Six Thousand Nine Hundred and Ninety Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896110497774 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 18-06-2024

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6110497774
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/190/2015/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	PWD PROVINCIAL DIVISION RUDRAPRAYAG Rudraprayag
Amount(in Rs)	626990/-

Amount in Words : Six Lakh Twenty-Six Thousand Nine Hundred and Ninety Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896110497774 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

शुद्धि सत्यापित  
रुद्रप्रयाग जिला  
मो. 0903710  
कम्प्यूटर

Print Date - 18-6-2024  
Transaction ID - M19000422706241017

33

33 del 19/6/24

आवधिक देयक प्रपत्र  
द्वितीय नियम संग्रह खंड पाँच भाग - 1  
(देखें अध्याय - अठ, प्रपत्र 178, 180, 182, 183)

E-Sign

- 1- जनपद का नाम
- 2- जिला का नाम
- 3- देयक की अवधि का से
- 4- विकार कोड
- 5- कोषागार/उपकोषागार का कोड
- 6- देयक पत्ती की क्रम संख्या
- 7- बाउचर संख्या (कोषागार द्वारा भरा जाना है)

रूद्रप्रमाण  
रूद्रप्रमाण

1	0	3
9	0	0
0	0	0
0	2	0
0	0	4

**लेखाधीन सम्बन्धी विवरण**

मुख्य लेखाधीन -	(5054) सड़क तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिवर्ध
उप मुख्य लेखाधीन -	(04) खिला तथा अन्य सड़कें
तृतीय लेखाधीन -	(337) सड़क निर्माण कार्य
चतुर्थ लेखाधीन -	(03) राज्य सेक्टर
पंचम लेखाधीन -	(04) एनपीवी0 वी0 का भुगतान / भूमि अधिग्रहण

- 8- मन्देश/भारित
- 9- लेखाधीन सम्बन्धी 13 अंको का कोड (4 मुख्य लेखाधीन + 2 उपमुख्य लेखाधीन + 3 तृतीय लेखाधीन + 2 चतुर्थ लेखाधीन)
- 10- आहरण वितरण अधिकारी का पदनाम
- 11- आहरण वितरण अधिकारी का कोड
- 12- अधिग्रहण का नाम
- 13- अनुदान संख्या (022) लोक निर्माण कार्य Connect अनुदान संख्या
- 14- मोर्स कोड : 0
- 15- सेक्टर कोड :
- 16- स्वीकृति आदेश (यदि आवश्यक हो, प्रतिनिधि सत्यान करें)

मतयेय

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	4	5	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

अधिशासी अधिग्रहण प्रांतीय प्रभाग पी डब्ल्यू डी रूद्रप्रमाण  
अधिशासी अधिग्रहण प्रांतीय प्रभाग पी डब्ल्यू डी रूद्रप्रमाण

Project : PR9000422706241001 वर्ष 2024-25 एनपीवी0 वी0, क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं प्रतिकर मद  
Contract :

**बजट की वर्तमान स्थिति**

मानक मद का नाम व कोड	आवधिक कुल बजट	इस विल को सम्मिलित करते हुए	अवशेष बजट
54-भूमि क्रय	4918025	3815070	1102955

**भुगतान का विवरण**

मानक मद का कोड एवं नाम	धनराशि
54-भूमि क्रय	6,26,990
66 देयक की सकल धनराशि (अग्रिम समापोजन के बाद)	6,26,990

ONLY FOR OFFICIAL USE

**कटौतियों का कोड सहित विवरण**

कटौतियों का कोड	धनराशि
77- सम्पूर्ण कटौतियां	-
99 शुद्ध देय धनराशि 66-77	6,26,990

Sl. No.	व्यय सम्बन्धी विवरण	धनराशि रू०	अभ्युक्ति
1	PAYATAL /18-JUN-2024/Mr Uttaranchal Campa Payatal	6,26,990	
66-	सकल धनराशि अग्रिम समापोजन के बाद	6,26,990	
77-	सम्पूर्ण कटौतियां	-	
99	शुद्ध देय धनराशि 66-77	6,26,990	

प्रमाणित किया जाता है कि इस देयक में प्रस्तुत किया गया दावा सही एवं नियमानुसार देय है तथा पूर्व में आहरित नहीं किया गया है। संगत नियमों एवं आदेशों की समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण करने के बाद देयक प्रथमवार प्रस्तुत किया जा रहा है। देयक के अवयवों की प्राप्ति स्वीकार की जाती है।

प्रभागीय लेखाकार / वरिष्ठ अधिकारी  
आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर

स्वच्छीय लेखाधिकारी  
अधिशासी अधिग्रहण प्रांतीय प्रभाग पी डब्ल्यू डी रूद्रप्रमाण

नियंत्रक/प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर  
(केवल काउन्टरसाइन्ड कटौतियों के प्रकरण में ही लागू होगा)  
(पदनाम एक कार्यालय की मुहर)

धनराशि रू० 6,26,990 (Six Thousand Six Hundred Twenty Six Thousand Nine Hundred Ninety Only) भुगतान हेतु पारित किया जाता है।  
संक्रमण द्वारा रू०  
सकल धनराशि रू० 6,26,990

कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी के हस्ताक्षर

Sl. No.	Beneficiary	Account Type	IFSC CODE	Account No	Gross Amount	Total Deduction	Advance Amount	Net Amount
1	GP9000422706241007 Mr Uttaranchal Campa Payatal	Saving	UBIN0996335	150896110497774	626990	0	0	626990
					626990	0	0	626990

प्रति संयोजित  
स्वच्छीय लेखाधिकारी  
उपकोषाधिकारी

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में राज्य योजना के अन्तर्गत पंजाताल-त्यूंखर-चिरबटिया-लस्या मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 2.00 किमी०

**Strip Plantation on Central Verte (बचनबद्धता) का प्रमाण-पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि सड़क निर्माण के पश्चात जहां जहां सम्भव हो, सड़क के दोनों किनारों पर विभाग द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में **Strip Plantation** किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता  
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०  
रुद्रप्रयाग

सहायक अभियन्ता  
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०  
रुद्रप्रयाग

अधिसूची अभियन्ता  
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०  
रुद्रप्रयाग

प्रति मन्तव्यपत्र  
सहायक अभियन्ता  
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०  
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम :- जनपद-रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत पंजाताल-त्यूखर-चिरबटिया-लस्या मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.40 है० वन भूमि के एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दस वर्षीय (एस० एस० पी०)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का नाम -		ग्राम-त्यूखर सिविल		
क्षतिपूरक वनीकरण का प्रस्तावित क्षेत्रफल (है० में)		2.800	है०	वर्ष 2018-19
क्र. सं.	रोपित प्रजातियां	संख्या		
1	बांज	700		
2	देवदार	600		
3	सुरई	1000		
4	मेहल	80		
5	पदम	300		
6	सीरस	400		
योग		<b>3080</b>		
रोपित कुल पौध		<b>3080</b>		

प्रथम चरण

क्र०	कार्य का विवरण	इकाई	इकाई दर प्रति रु०	व्यय	
1	2	3	4	5	
1	सर्वे व सीमांकन	2.8000	है०	168.00	470.40
2	क्षेत्र की सफाई कार्य ( झाड़ी कटान आदि कार्य )	2.8000	है०	5446.00	15248.80
3	अग्रिम दीवालवन्दी कार्य ( फेन्सिंग ) कार्य	2.8000	है०	55000.00	154000.00
4	गड्डो का खुदान (0.30x0.30x0.45cum) रेखांकन सहित	2800	प्र०ग०	11.00	30800.00
5	निरीक्षण बटिया का निर्माण करना (प्रति है० 100र०मी० लम्बी व 0.60मी० चौड़ी)	168.000	वर्ग मी०	26.00	4368.00
6	पौधों की कीमत प्रथम वर्ष उगाने का	2800	प्र० सं०	10.00	28000.00
7	अन्य व्यय जैसे यंत्र सयंत्र औजार तैज करना	2.8000	है०	1337.00	3743.60
प्रथम चरण का योग					<b>236630.80</b>


द्वितीय चरण


1	गड्डा भरान कार्य (0.30x0.30x0.45)Cum	2800	सं०	2.07	5796.00
2	पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष )	2800	सं०	3.00	8400.00
3	पौध दुलान कार्य	2800	सं०	13.00	36400.00
4	पौध रोपण कार्य व थावला बन्दी कार्य	2800	सं०	4.00	11200.00
5	निराई गुडाई करना प्रथम बार	2800	सं०	2.75	7700.00
6	निराई गुडाई करना मय मलचिग कार्य द्वितीय बार	2800	सं०	2.40	6720.00
7	खाद व दवा पर व्यय	2.8000	है०	1200.00	3360.00
8	प्रथम वर्ष में वृक्षारोपण की देख रेख व रखरखाव पर व्यय (वाचर 1)	2.8000	प्र०है०/माह	1000.00	2800.00
9	8.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखीघास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है० झाड़ी कटान (लैन्टना गाजर धास/काला बांसा )	2.8000	है०	1682.00	4709.60
कुल योग द्वितीय चरण					<b>87085.60</b>

तृतीय चरण

1	वनीकरण चौकदार 12 माह	2.8000	है०	1000.00	33600.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखीघास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है० झाड़ी कटान (लैन्टना गाजर धास/कालाबांसा )	2.8000	है०	1682.00	4709.60
3	पौधों की लागत कुल रोपण का 10 प्रतिशत	280	सं० / पौध	15.00	4200.00
	पुनः गड्डा खोदना एवं रोपण करना	280	सं० / पौध	6.00	1680.00
	पौधों का दुलान कार्य करना	280	सं० / पौध	13.00	3640.00
	गड्डों में गोबर खाद डालना मय दुलान सहित	280	सं० / पौध	2.85	798.00
	शीतकाल में मलचिग सहित कार्य	280	सं० / पौध	2.38	666.40

तृतीय चरण का योग					49294.00
चतुर्थ चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद द्वितीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	2.8000	₹०	1000.00	33600.00
चतुर्थ चरण का योग :-					33600.00
पंचम चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	2.8000	₹०	1000.00	33600.00
पंचम चरण का योग :-					33600.00
छठवां चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	2.8000	₹०	1000.00	33600.00
छठवें चरण का योग :-					33600.00
सातवां चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	2.8000	₹०	1000.00	33600.00
सातवें चरण का योग :-					33600.00
आठवां चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	2.8000	₹०	1000.00	33600.00
आठवें चरण का योग :-					33600.00
नवम् चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	2.8000	₹०	1000.00	33600.00
नवें चरण का योग :-					33600.00
दशम चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	2.8000	₹०	1000.00	33600.00
दशवें चरण का योग :-					33600.00
5-कुल व्यय सांरास प्रति है० व कुल व्यय					
क्र०	वर्ष का नाम				प्रति है० व्यय
1	प्रथम वर्ष				236630.80
2	द्वितीय वर्ष				87085.60
3	तृतीय वर्ष				49294.00
4	चतुर्थ वर्ष				33600.00
5	पंचम वर्ष				33600.00
6	छठवें वर्ष				33600.00
7	सातवां वर्ष				33600.00
8	आठवां वर्ष				33600.00
9	नवम् वर्ष				33600.00
10	दशम वर्ष				33600.00
कुल व्यय रुपये					608210.40
मृदा एवं जल संरक्षण कार्य					172051.60
कुल योग					780262.00
प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक-596/3-5-2 दिनांक 19.08.2015 के अनुसार वसूली वर्ष 2018-19 हेतु देय दर/ 278665.00 ₹०/ है०		2.800	Ha.	780262.00	

  
 वन क्षेत्राधिकारी  
 दक्षिणी जखोली रेंज  
 ननपद-रुद्रप्रयाग  
 उप प्रभागीय वनाधिकारी  
 जखोली उप वन प्रभाग

  
 उप वन संरक्षक  
 रुद्रप्रयाग वन प्रभाग  
 रुद्रप्रयाग

जियोरेफरेन्स मैप:- जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखंड जखोली में पंचायतल त्यूखर बिरबटिया तरसा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (1.40 है०) मार्ग के निर्माण के लिए दुगुने क्षेत्र 2.800 है० में शतिपूरक वृक्षारोपण हेतु


78°51'0"E 78°51'5"E 78°51'10"E 78°51'15"E 78°51'0"E 78°51'5"E 78°51'10"E 78°51'15"E

Co-ordinates of Plantation Site		
Id	Longitude	Latitude
1	78° 51' 2.32" E	30° 22' 15.04" N
2	78° 51' 4.95" E	30° 22' 12.92" N
3	78° 51' 8.8" E	30° 22' 19.58" N
4	78° 51' 11.46" E	30° 22' 13.15" N

30°22'10"N 30°22'15"N 30°22'20"N  
78°51'0"E 78°51'5"E 78°51'10"E 78°51'15"E

**Legend**

- GPS Location
- Proposed Plantation Site



*[Signature]*  
उप प्रभागीय वनाधिकारी  
जखोली उप वन प्रभाग

*[Signature]*  
उप वन संरक्षक  
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग  
रुद्रप्रयाग

*[Signature]*  
उप जिलाधिकारी  
जखोली (रुद्रप्रयाग)

Asst. Engineer  
P.D. P.W.D.  
Rudraprayag

Executive Engineer  
Prov. Div. P.W.D.  
Rudraprayag


सहायक अभियन्ता  
प्र०ख० सो०बि०वि०  
रुद्रप्रयाग

वने क्षेत्राधिकारी  
दक्षिणी जखोली रेंज  
जनपद रुद्रप्रयाग

0 0.02 0.04 0.08 0.12 0.16 Km  
1:2,500  
Prepared by: ITGC, PCCF Office, Dehradun

डिजिटल मैप:-जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखंड जखोली में पंजाताल त्यूंखर चिरबटिया लस्या मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (1.40 है०) मार्ग के निर्माण के लिए दुगुने क्षेत्र 2.800 है० में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु

SOI Toposheet No. 53N/03



**Legend**

- Proposed Land
- Protected Area
- Reserve Forest Boundary
- Reserve Forest Area
- Forest Range Boundary
- Forest Division Boundary

सहायक अभियन्ता  
 प्रान्तीय सखण्ड लो० नि० वि०  
 रुद्रप्रयाग  
 वन क्षेत्राधिकारी  
 जखोली रेंज  
 जनपद-रुद्रप्रयाग

प्रान्तीय सखण्ड लो० नि० वि०  
 रुद्रप्रयाग

उप प्रभागिय वन अधिकारी  
 रुद्रप्रयाग वन प्रभाग  
 रुद्रप्रयाग  
 उप जिलाधिकारी  
 जखोली (रुद्रप्रयाग)  
 Scale: 1:50,000

Prepared by: ITGC, PCCF Office, Dehradun